

## प्रेस नोट दिनांक- 08.11.2020

(1). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 08.11.2020 को यातायात निरीक्षक श्री घनश्याम पाण्डेय एवं यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु मंदाकिनी पुल, लुढवारा मोड़, चकला मोड़, ट्राफिक चौराहा कर्वी, बेड़ी पुलिया में वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट, ओवर स्पीड एवं बिना सीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 92 वाहनों से 86000 रुपये पेंडिंग ई-चालान किया गया एवं कोविड-19 गइडलाइन का पालन न करने वाले एवम मास्क न लगाने वाले 16 व्यक्तियों से 2800 रुपये जुर्माना वसूला गया। इस दौरान वाहन चालकों को पम्पलेट्स के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी।

(2). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08.11.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी पुलिस मिशन शक्ति के निकट पर्यवेक्षण में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार पति-पत्नी के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये 03 परिवारों को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती अंजना देवी पत्नी अजय केवट निवासी रानीपुर भट्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति अजय केवट पुत्र रामखिलावन व ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग एवं उसके साथ मारपीट कर प्रताडित करते है। इसी तरह श्रीमती गयाश्री पत्नी सुरेश निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अपने पति सुरेश द्वारा लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट करने एवं खर्चा न देने सम्बन्धी प्रा0 पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दिया। इसी क्रम में श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 जगमोहन धुरिया निवासी कोलगादहिया थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अपनी पत्नी द्वारा उत्पीड़न करने एवं फर्जी मुकदमें में फसाने एवं ससुराल न आने के सम्बन्ध में प्रा0 पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त मुख्य आरक्षी अरुण कुमार द्वारा उपरोक्त तीनों प्रकरणों के दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर सभी को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं प्रताडित न करने की बात कही। इस पर तीनों परिवारों के दोनों पक्षों ने आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दिनांक 08.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा शुक्ला कोचिंग सेण्टर मऊ एवं कस्बा मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम खटवारा में, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम रौली, रसिन, घुरेटनपुर, भरतकूप में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम विनोबा नगर में, एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा कसहाई, सपहा, मण्डी समिति में भ्रमण कर एवं अन्य थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, प्रमुख चौराहों, में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया। विभिन्न थाना स्तर की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा आवारा रूप से घूम रहे संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की गयी तथा हिदायत दी गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(4). यातायात माह नवम्बर के परिपेक्ष्य में दिनांक 07.11.2020 को रात्रि में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा कर्वी शहर के बस स्टैण्ड पर यातायात पुलिस द्वारा सघन रूप से वाहन चैकिंग करवायी गयी। वाहन चैकिंग में महोदय द्वारा तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट. ओवर स्पीड एवं बिना सीटबेल्ट की चैकिंग करवा कर उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान कराया गया। इस दौरान आने जाने वाले लोगों को हेलमेट अवश्य पहने, सीट बेल्ट अवश्य लगाये, ओवर स्पीड से न चलें, मास्क लगा कर रखने हेतु जागरूक किया गया । महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए कि अपने अधीनस्थ नियुक्त अधि0/कर्मचारीगणों को हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने हेतु जागरूक करें।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव, यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव तथा अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आबकारी निरीक्षक श्रीमती शालिनी एवं उ0नि0 श्री वारिज व उनकी संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्ता चुनकिया पत्नी छोटे उर्फ जबरा नि0 खटकाना थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 लीटर कच्ची महुआ शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के मार्गदर्शन में थाना बहिलपुरवा पुलिस द्वारा बिना खनना के पत्थर का अवैध खनन कर चोरी से ले जाते हुए 02 ट्रैक्टरों को बरामद किया।

(i). उ0नि0 श्री शेरसिंह पाल थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा समेरियाचरणदासी से अभियुक्त मुन्नु गौतम पुत्र मिथलेश कुमार निवासी सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा को स्वराज 735 ट्रैक्टर बिना नम्बर से बिना खनना पहाड़ से पत्थर का अवैध खनन कर चोरी कर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सँ0 धारा 379/411 भादवि0 व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व 03 लोकसम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया। ट्रैक्टर को धारा 207 M.V. Act. के तहत सीज किया गया।

**बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 श्री शेरसिंह पाल थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी सत्यपाल

(ii). उ०नि० श्री दुर्गेश कुमार थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा नयापुरवा रूकमा बुजुर्ग से महिंद्रा 275 ट्रैक्टर में अवैध पत्थर बिना रवन्ना के चोरी कर ले जाते हुए बरामद किया गया। ट्रैक्टर चालक पुलिस टीम को देखकर ट्रैक्टर छोड़ भाग निकला। अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध थाना बहिलपुरवा में मु०अ०सँ० धारा 379/411 भादवि० व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व 03 लोकसम्पत्ति क्षति निवारण अधि० पंजीकृत किया गया। ट्रैक्टर को धारा 207 M.V. Act. के तहत सीज किया गया।

**बरामदगी करने वाली टीम-**

1. उ०नि० श्री दुर्गेश कुमार थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी सौरभ
3. आरक्षी अरविन्द्र याद
4. आरक्षी सत्यपाल